न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 472 सन 2018

अनवान :–

1. श्यामलाल पुत्र मनीराम जाति खाती निवासी मेधाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र घडसीराम जाति खाती निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. सतवीर 3 हनुमान प्रसाद 4 सन्तरों देवी 5 निर्मला पुत्र व पुत्रीयान मनीराम जाति खाती निवासी मेधाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इष्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28.12.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,, आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 238/494 की 3.3390हैक खसरा न0 240/490 की 2.1500हैक खसरा न0 245 की 4.7420हैक कुल 10.2310हैक भूमि वादी के दादा घडसीराम के नाम से दर्ज थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घडसीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा व मेरे पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि मेंरे अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पुत्रों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है ।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोनक किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा व मेरे पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि मेरे अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री किन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 194/187 की कुल 10.2310हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेष के सलग्न 5000/- अखरे रूपये पांच हजार का सटाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आष्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official